

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या 413/2015/141(120)/XXVII(8)/2008
देहरादून: दिनांक 08मई, 2015


अधिसूचना


चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची-III के क्रमांक 1 के खण्ड (क) और (ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

अनुसूची-III के क्रमांक 1 के खण्ड (क) और (ख) पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात्-

क्र०सं०	माल का विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर की प्रतिशत
1	(क) सभी प्रकार की स्पिरिट और स्पिरिटमय शराब जिसमें मिथाइल अल्कोहल और संयुक्त प्रान्त मोटर स्पिरिट डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम 1939 के अधीन यथा परिभाषित अल्कोहल सम्मिलित है, किन्तु देशी शराब एवं "उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित फलों से विनिर्मित वाईन (wine) सम्मिलित नहीं है"	नि० या आ०	20 प्रतिशत
	(ख) देशी शराब	नि० या आ०	10 प्रतिशत


आवरण
उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8


(राजेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

सं० 413/2015/141(120)/XXVII(8)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3- भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4- सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन०आई०सी०
- 6- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,



(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

India, the Governor is pleased to order the publication of the following translation of the Notification No. 413/2015/141(120)/XXVII (8)/2008 dated 08 May, 2015 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No /2015/ 141(120)/XXVII (8)/2008
Dehradun: Dated: 08 May, 2015

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (U.P. Act No.1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to amend Clause(a) and (b) of serial no. 1 of Schedule-III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, as follows -

Amendment

In Schedule- III, for the existing entry at clause (a) and (b) of serial No.1, the following entry shall be substituted; namely-

Sl. No.	Description of goods	Point of Tax	Rate of tax percentage
1	(a) Spirits and spirituous liquors of all kinds including Methyl Alcohol, Alcohol as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939 but excluding country liquors and "wine, manufactured from fruits produced in Uttarakhand state"	M or I	20 %
	(b) Country liquors	M or I	10%


(Rakesh Sharma)
Additional Chief Secretary